संख्याः 1982 ई–1/तेरह–2020–18/17 (टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः **15** अक्टूबर, 2020

विषयः–संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन), उप आबकारी आयुक्त (प्रभार), जिला आबकारी अधिकारी एवं अपराध निरोधक, सेक्टर/क्षेत्रों में तैनात आबकारी निरीक्षकों के प्रमुख कार्यों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। विभाग द्वारा मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण तथा मादक वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण कर मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन) उप आबकारी आयुक्त (प्रभार), जिला आबकारी अधिकारी एवं अपराध निरोधक, सेक्टर/क्षेत्रों में तैनात आबकारी निरीक्षकों के प्रमुख कार्य निम्नवत् निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त के प्रमुख कार्य

1– प्रवर्तन कार्य–

- अवैध मद्य निष्कर्षण के विरुद्ध अधीनस्थों द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- नकली मदिरा निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- मदिरा की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- अनुज्ञापन शर्तों एवं संगत नियमों का अनुज्ञापियों से शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाना। एवं उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की फुटकर दुकानों पर ओवर रेटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करना।
- अधीनस्थ प्रवर्तन इकाइयों का पर्यवेक्षण किया जाना।

2–व्यवस्थापन

- फुटकर दुकानों का शत–प्रतिशत व्यवस्थापन कराया जाना एवं निरस्त अनुज्ञापनों का पुनर्व्यवस्थापन कराया जाना।

3– मदिरा की निकासी

- देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. का शतप्रतिशत उठान सुनिश्चित कराया जाना तथा अगले वर्ष नवीनीकरण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदिरा का भी उठान सुनिश्चित कराया जाना।

GEN/Go.R

• विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों पर अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान सुनिश्चित कराया जाना।

4–ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन, आनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य, एवं कम्प्युटर इन्फास्ट्रक्चर का रख रखाव

5–पर्यवेक्षण कार्य

• शासनादेश संख्या 29ई–1/तेरह–2018 दिनांक 08–01–2018 के अनुसार निरीक्षण के निर्धारित मानक के सापेक्ष किये गये निरीक्षण/रात्रि प्रवास।

क्र0 सं0	मद	मानकम	वार्षिक मानकम	प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम)
1	दौरे का दिन	120	120 दौरा	प्रत्येक माह में 7 दौरा
2	उप आबकारी आयुक्त, कार्यालय का निरीक्षण	वर्ष में एक बार	01 प्रति प्रभार कार्यालय	प्रत्येक त्रैमास में एक प्रभार कार्यालय
3	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय का निरीक्षण	वर्ष में एक बार	01 प्रति जिला कार्यालय	प्रत्येक माह में एक जिला कार्यालय
4	थोक अनुज्ञापन	प्रत्येक माह में 02 अनुज्ञापन	24 अनुज्ञापन	प्रत्येक माह में 02 अनुज्ञापन
5	(क) महानगर जिनकी जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। (ख) अन्य जनपदों/स्थानों	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग माह में 02 देशी, 01 विदेशी, 01 बीयर	24 देशी, 60विदेशी मदिरा, 60 बीयर एवं 12 भांग 24 देशी, 12 विदेशी,12 बीयर	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग प्रत्येक माह 02 देशी, 01 विदेशी, 01 बीयर
6	चीनी मिलें	सभी चीनी मिलों का वर्ष में एक बार (पेराई सत्र में अवश्य करें)	01 चीनी मिल	नवम्बर से फरवरी न्यूनतम् एक चीनी मिल प्रतिमाह
7	अन्य अनुज्ञापन (मेथेनाल से संबंधित अनुज्ञापनों सहित)	वर्ष में एक बार	01 अनुज्ञापन	वर्ष में कभी भी सुविधानुसार
8	एफ.एल.–16/17, एफ.एल.–39, 40, 41	आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार किसी भी माह में
9	आसवनी	वर्ष में दो बार	02 आसवनी	अप्रैल से अक्टूबर 01 बार,

GEN/Go.R

		प्रत्येक आसवनी		नवम्बर से मार्च 01 बार
10	फार्मेसी	वर्ष में एक बार प्रत्येक फार्मेसी	01 फर्मोसी	किसी भी माह 01 बार

- आसवनियों/यवासवनियों हेतु उत्पादन एवं अभिकर के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना।

6–जनसूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जाना।
7–न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी किया जाना।
8–मा. विधान सभा/ विधान परिषद प्रश्नों के उत्तरालेखों को समयांतर्गत प्रेषित किया जाना।
9– अन्य मा. समितियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयांतर्गत किया जाना।
10–पेशनीय देयों के प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना।
11–शिकायती पत्रों एवं संदर्भित जनसुनवाई पोर्टल के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना।
12–उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर संदर्भित कार्यों का संपादन किया जाना।
13––एक्साइज़ मैनुअल में समय–समय पर निर्दिष्ट कार्य।
14–कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित कार्य।
15–उच्चाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

प्रभार के उप आबकारी आयुक्त के प्रमुख कार्य

1– प्रवर्तन कार्य–

- अवैध मद्य निष्कर्षण के विरुद्ध अधीनस्थों द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- नकली मदिरा निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- मदिरा की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।
- अनुज्ञापन शर्तों एवं संगत नियमों का अनुज्ञापियों से शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाना। एवं उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की फुटकर दुकानों पर ओवर रेटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करना।
- अधीनस्थ प्रवर्तन इकाइयों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना।

2–व्यवस्थापन

- फुटकर दुकानों का शत–प्रतिशत व्यवस्थापन कराया जाना एवं निरस्त अनुज्ञापनों का पुनर्व्यवस्थापन कराया जाना।

3– मदिरा की निकासी

- देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. का शतप्रतिशत उठान सुनिश्चित कराया जाना तथा अगले वर्ष नवीनीकरण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदिरा का भी उठान सुनिश्चित कराया जाना।
- विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों पर अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान सुनिश्चित कराया जाना।

4–ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन, आनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य, एवं कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव

5–पर्यवेक्षण कार्य

- शासनादेश संख्या 29 ई–1/तेरह–2018 दिनांक 08–01–2018 के अनुसार निरीक्षण के निर्धारित मानक के सापेक्ष किये गये निरीक्षण/रात्रि प्रवास।

क्र0 सं0	मद	मानकम	वार्षिक मानकम	प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम्)
1	दौरे का दिन	108	108 दौरा	प्रत्येक माह में 06 दौरा
2	अपराध-निरोधक क्षेत्र	12 माह में एक बार	01 बार प्रत्येक निरोधक क्षेत्र	प्रत्येक माह में न्यूनतम् 01 निरोधक क्षेत्र
3	थोक अनुज्ञापन	माह में 05 अनुज्ञापन	60 अनुज्ञापन	प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 01 अनुज्ञापन
4	पेट्रोल डिपो	वर्ष में एक बार	01 पेट्रोल डिपो	सितम्बर में न्यूनतम् एक बार
5	प्रभार में स्थित औषधिय निर्माणशालाएँ (फार्मेसी)	वर्ष में दो बार	02 बार प्रत्येक फार्मेसी	अप्रैल से अक्टूबर–01 बार, नवम्बर से मार्च–01 बार
6	अन्य अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार	01 अनुज्ञापन	वर्ष में कभी भी सुविधानुसार
7	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी	12 माह में एक बार	01 बार प्रत्येक जिला कार्यालय	प्रत्येक तिमाही में 01 कार्यालय
8	आबकारी दुकानें (माडल शाप को सम्मिलित करते हुए)			
	(क) महानगर जिनकी जनसंख्या 6 लाख से अधिक है।	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग	24 देशी, 60विदेशी मदिरा, 60 बीयर एवं 12 भांग	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग
	(ख) प्रभार के समस्त जनपदों के नगरीय क्षेत्र में स्थित दुकानें	7 देशी शराब 3 विदेशी मदिरा 3 बीयर 1 भांग	84 देशी शराब 36 विदेशी मदिरा 36 बीयर 12 भांग	7 देशी प्रति माह 3 विदेशी प्रति माह 3 बीयर प्रति माह 1 भांग प्रति माह
	(ग) देहात क्षेत्र में स्थित दुकानें	7 देशी शराब 3 विदेशी मदिरा 3 बीयर	84 देशी शराब 36 विदेशी मदिरा 36 बीयर	7 देशी प्रति माह 3 विदेशी प्रति माह 3 बीयर प्रति माह

GEN/Go.R

		1 भांग	12 भांग	1 भांग प्रति माह
9	चीनी मिलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक/ चीनी मिले	वर्ष में तीन बार (पेराई सत्र में एक बार)	03 बार प्रत्येक चीनी मिल	समस्त चीनी मिलों का निरीक्षण अप्रैल से सितम्बर तक एक बार अक्टूबर से दिसम्बर तक एक बार तथा जनवरी से मार्च तक एक बार
10	एफ.एल.–16/17, एफ:एल.–39, 40, 41	आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण करें	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार किसी भी माह में
11	आसवनी	वर्ष में तीन बार	03 बार प्रत्येक आसवनी	अप्रैल से सितम्बर तक एक बार अक्टूबर से दिसम्बर तक एक बार तथा जनवरी से मार्च तक एक बार

- आसवनियों/यवासवनियों हेतु उत्पादन एवं अभिकर के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना।

6–प्रभार के जनपदों के महालेखाकार आडिट प्रस्तरों (2ख श्रेणी से संबंधित) का 03 माह के अंदर निस्तारण करते हुये निस्तारण आख्या प्रेषित किया जाना।

7–जनसूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जाना।

8–न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी किया जाना।

उक्त के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि याचिका की प्रस्तरवार आख्या सामान्यतया 7 दिवस के अंदर तैयार हो जाय तथा प्रतिवाद आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। याचिकाओं में अधिकतम 21 दिवस के अंदर प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9–मा. विधान सभा/ विधान परिषद प्रश्नों के उत्तरालेखों को समयांतर्गत प्रेषित किया जाना।

10–अन्य मा. समितियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयांतर्गत किया जाना।

11–पेशनीय देयों के प्रकरणों का 4 माह के अंदर निस्तारण किया जाना।

12–शिकायती पत्रों एवं संदर्भित जनसुनवाई पोर्टल के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना।

13–प्रभार के जनपदों में लम्बित अधिष्ठान संबंधी प्रकरणों का पर्यवेक्षण किया जाना।

14–उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर संदर्भित कार्यों का संपादन किया जाना।

15–मैनुअल के अनुसार समय–समय पर निर्दिष्ट कार्य।

16–कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित कार्य।

17–उच्चाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

जिला आबकारी अधिकारी के प्रमुख कार्य

1– प्रवर्तन कार्य–

- अवैध मद्य निष्कर्षण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- नकली मदिरा निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

- अनुज्ञापन शर्तो एवं संगत नियमों का अनुज्ञापियों से शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाना। एवं उल्लंधन पाये जाने पर अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की फुटकर दुकानों पर ओवर रेटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करना।
- दर्ज आपराधिक वादों में पुलिस से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।

2–व्यवस्थापन

- फुटकर दुकानों का शत–प्रतिशत व्यवस्थापन कराया जाना एवं निरस्त अनुज्ञापनों का पुनर्व्यवस्थापन कराया जाना।

3– मदिरा की निकासी

- देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. का शतप्रतिशत उठान सुनिश्चित कराया जाना तथा अगले वर्ष नवीनीकरण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदिरा का भी उठान सुनिश्चित कराया जाना।
- विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों पर अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान सुनिश्चित कराया जाना।

4–ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन, आनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य, एवं कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव

5–पर्यवेक्षण कार्य

- शासनादेश संख्या 29 ई–1/तेरह–2018 दिनांक 08–01–2018 के अनुसार निरीक्षण के निर्धारित मानक के सापेक्ष किये गये निरीक्षण/रात्रि प्रवास।

क्र0 सं0	मद	मानकम	वार्षिक मानकम	मासिक (न्यूनतम)
1	दौरे का दिन	84 दिन वर्ष में	84 दौरा	05 दौरा प्रति माह
2	अपराध निरोधक क्षेत्र के कार्य	04 माह में एक बार	03 बार प्रत्येक निरोधक क्षेत्र	जून, जुलाई में न्यूनतम् एक तथा अगस्त से दिसम्बर तक एक शेष निरीक्षण मानकम के अनुसार
3	देशी/विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन			
	(क) जनपद के मुख्यालय पर स्थित	03 माह में एक बार	04 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी प्रत्येक अनुज्ञापन
	(ख) जनपद के मुख्यालय के बाहर स्थित	03 माह में एक बार	04 प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी प्रत्येक अनुज्ञापान
4	अबंधित औषधीय निर्माण शालाएँ			
	(क) जनपद मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में स्थित	06 माह में एक बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	मई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
	(ख) जनपद मुख्यालय के बार अन्य क्षेत्रों में स्थित	06 माह में एक बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	मई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
5	बी.डब्लू.एफ.एल.–2ए/	06 माह में एक	02 बार प्रति	अप्रैल, नवम्बर में प्रत्येक

GEN/Go.R

	2बी / 2सी / 2डी	बार	अनुज्ञापन	अनुज्ञापन
6	एफ.एल.–6 (समिश्र), 7, 7सी	04 माह में एक बार	03 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
7	एफ.एल.–9 / 9ए	वर्ष में 02 बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	प्रत्येक छमाही में 01 बार
8	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	06 माह में एक बार	02 बार	प्रत्येक छमाही एक बार
9	आबकारी दुकानें देशी, विदेशी मदिरा / बीयर / ताड़ी तथा भांग की दुकानें एवं माडल शाप			
	(क) महानगरों जिनकी जनसंख्या 6 लाख से अधिक है।	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग	24 देशी, 60 विदेशी मदिरा, 60 बीयर एवं 12 भांग	माह में 02 देशी, 05 विदेशी मदिरा, 05 बीयर एवं 01 भांग
	(ख) जनपद मुख्यालय के नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में स्थित दुकानें	माह में 05 देशी, 02 विदेशी मदिरा, 02 बीयर एवं 01 भांग	60 देशी, 24 विदेशी मदिरा, 24 बीयर एवं 12 भांग	माह में 05 देशी, 02 विदेशी मदिरा, 02 बीयर एवं 01 भांग
	(ग) जनपद मुख्यालय के नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र से भिन्न नगर पंचायत / ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें	माह में 05 देशी, 02 विदेशी मदिरा, 02 बीयर एवं 01 भांग	60 देशी, 24 विदेशी मदिरा, 24 बीयर एवं 12 भांग	माह में 05 देशी, 02 विदेशी मदिरा, 02 बीयर एवं 01 भांग
	(घ) शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	वर्ष में चार बार	04 बार प्रति इकाई	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी में प्रत्येक इकाई
10	(क) चीनी मिलों के निरीक्षण	वर्ष में तीन बार (पेराई सत्र में एक बार)	03 बार प्रत्येक चीनी मिल	समस्त चीनी मिलों का निरीक्षण अप्रैल से सितम्बर तक एक बार, अक्टूबर से दिसम्बर तक एक बार तथा जनवरी से मार्च तक एक बार
	(ख) अन्य विविध अनुज्ञापन(मेथेनाल से संबंधित अनुज्ञापनों सहित)	वर्ष में कम से कम तीन बार	03 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	अप्रैल से जून तक एक बार, अगस्त से अक्टूबर तक एक बार, नवम्बर से फरवरी तक एक बार

6–जनसूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जाना।

7–न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी किया जाना।

उक्त के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि याचिका की प्रस्तरवार आख्या सामान्यतया 7 दिवस के अंदर तैयार हो जाय तथा प्रतिवाद आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। याचिकाओं में अधिकतम 21 दिवस के अंदर प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8–मा. विधान सभा / विधान परिषद प्रश्नों के उत्तरालेखों को समयांतर्गत प्रेषित किया जाना।

9– अन्य मा. समितियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयांतर्गत किया जाना।

10– पेशनीय देयों के प्रकरणों का 4 माह के अंदर निस्तारण किया जाना।
11–शिकायती पत्रों एवं संदर्भित जनसुनवाई पोर्टल के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना।
12–जनपद के समस्त आडिट प्रस्तरों का 02 माह के अंदर निस्तारण किया जाना।
13–जनपद में लम्बित अधिष्ठान संबंधी प्रकरणों का 02 माह के अंदर निस्तारण किया जाना।
14–उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर संदर्भित कार्यों का संपादन किया जाना।
15–एक्साइज़ मैनुअल में समय–समय पर निर्दिष्ट कार्य।
16–कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित कार्य।
17–उच्चाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

अपराध निरोधक सेक्टरों/क्षेत्रों में तैनात आबकारी निरीक्षकों के प्रमुख कार्य

1– प्रवर्तन कार्य–

- अवैध मद्य निष्कर्षण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- नकली मदिरा निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- अनुज्ञापन शर्तो एवं संगत नियमों का अनुज्ञापियों से शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाना। एवं उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।
- मदिरा की फुटकर दुकानों पर ओवर रेटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करना।

2–व्यवस्थापन

- फुटकर दुकानों का शत–प्रतिशत व्यवस्थापन कराया जाना एवं निरस्त अनुज्ञापनों का पुनर्व्यवस्थापन कराया जाना।

3– मदिरा की निकासी

- देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. का शतप्रतिशत उठान सुनिश्चित कराया जाना तथा अगले वर्ष नवीनीकरण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदिरा का भी उठान सुनिश्चित कराया जाना।
- विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों पर अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान सुनिश्चित कराया जाना।

4–ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन, आनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य, एवं कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव

5–पर्यवेक्षण कार्य

- शासनादेश संख्या 1190 ई–1/तेरह–2019–18/17टी.सी. दिनांक 29–05–2019 के अनुसार निरीक्षण के निर्धारित मानक के सापेक्ष किये गये निरीक्षण/रात्रि प्रवास।

क्र. सं.	मद	मानकम
1	दौरे का दिन	प्रत्येक माह न्यूनतम 15 दिन
2	आबकारी दुकानों का निरीक्षण (क) 1–प्रधानावास के 8 कि.मी. के अंतर्गत स्थित दुकानें	 माह में 02 बार

GEN/Go.R

	2–प्रधानावास के 8 कि.मी. के बाहर स्थित दुकानें (ख) शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई (ग) संदिग्ध गांव/मोहल्ले	माह में 01 बार 02 माह में 01 बार माह में 01 बार
3	(अ) सी.एल.–2, एफ.एल.–2, एफ.एल.–2बी (ब) बी.डब्लू.एफ.एल.–2/एफ.एल.–2डी (स) एफ.एल.–6,7,6ए व 7ए (द) एफ.एल.–9, 9ए (य) एफ.एल.–16, 17 (र) एफ.एल.–39,40 व 41	माह में 01 बार माह में 01 बार माह में 01 बार माह में 01 बार माह में 01 बार 02 माह में 01 बार
4	अन्य अनुज्ञापन	02 माह में एक बार

6–जनसूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जाना।
7–न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी किया जाना।

उक्त के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि याचिका की प्रस्तरवार आख्या सामान्यतया 7 दिवस के अंदर तैयार हो जाय तथा प्रतिवाद आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। याचिकाओं में अधिकतम 21 दिवस के अंदर प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8–मा. विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों के उत्तरालेखों को समयांतर्गत प्रेषित किया जाना।
9–अन्य मा. समितियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयांतर्गत किया जाना।
10–पेशनीय देयों के प्रकरणों का 4 माह के अंदर निस्तारण किया जाना।
11–शिकायती पत्रों एवं संदर्भित जनसुनवाई पोर्टल के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना।
12–उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर संदर्भित कार्यों का संपादन किया जाना।
13–एक्साइज मैनुअल में समय–समय पर निर्दिष्ट कार्य।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 1982/(1)ई–1/तेरह–2020, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव